

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प. 20 (21)न्याय/92

जयपुर, दिनांक 18 OCT 2024

::आदेश::


नोटेरी अधिनियम 1952 एवं नियम 1956 की धारा 10(घ) के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, नोटेरी पब्लिक, बामनवास जिला सवाई माधोपुर का नोटेरी प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए नोटेरी रजिस्टर में अंकित रजिस्ट्रेशन क्रमांक 240 से इनका नाम एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

आज्ञा से


18.10.24
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सोलीसीटर, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
6. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जिला सवाई माधोपुर।
9. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
11. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि को ई गजट में प्रकाशनार्थ ।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव